संचिका संख्या–5 / निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03 / 2022– 1166

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

28 मार्च, 2022

विषयः– भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नवीन एवं नवीकृत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में निर्गत आय प्रमाण–पत्र की वैधता को विस्तारित किए जाने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत आय प्रमाण–पत्र को भी वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए निर्धारित आय अधिसीमा के अधीन मानते हुए आवेदन की वैधता की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान / में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 के अनुसार निर्धारित दर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है**(परिशिष्ट–1)**, जबकि विभागीय संकल्प सं0–3098 दिनांक–20.12.2017 द्वारा वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

(परिशिष्ट–2)

3. शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के पोर्टल N.S.P–2 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त पोर्टल पर आवेदन पत्रों के निष्पादन, त्रुटियों के निराकरण एवं छात्रवृति वितरण में होने वाले अनावश्यक विलम्ब के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा NIC के सहयोग से वर्ष 2021 में PMS Portal विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में नियमित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का आवेदन इस कारण ससमय प्राप्त नहीं किये जा सके। अतः उक्त पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिए एक साथ अगस्त, 2021 से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

आवेदन पत्रों के सत्यापन क्रम में शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा अवगत कराया गया है कि आय प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष तक के लिए हीं मान्य है। चूँकि RTPS के अन्तर्गत पूर्व के वर्षों के आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाते है, फलस्वरूप अधिकांश आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में वर्ष 2021–22 अन्तर्गत निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड किये गये है। NIC के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्त्तमान

वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष 2021–22 में निर्गत आय प्रमाण पत्र की वैधता में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु वर्ष 2019–20 एवं 2020–2021 के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के कारण कुछ आवेदन **Reject/Defective** श्रेणी में रखे गये है जिसका कारण निम्नवत् हैः–

(i) कुछ अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में आय प्रमाण पत्र बनवाया था, किन्तु एक वर्ष के उपरांत आय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है और उसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

(ii) कुछ अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में निर्गत नहीं है। लेकिन उनके द्वारा वर्ष 2021–22 में निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जो वर्ष 2021–22 के लिए वैध है किन्तु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए वैध नही है।

4. तदालोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नवीन एवं नवीकृत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए एक साथ प्राप्त किए गए आवदेनों की वैधता हेतु वर्णित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाके लिए निम्नांकित निर्णय लिए गए हैः–

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में निर्गत आय प्रमाण–पत्र के आधार पर किए गए आवेदनों की वैधता प्रदान करने हेतु आलोच्य वर्ष के लिए निर्गत आय प्रमाण पत्र की वैधता को विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत आय प्रमाण–पत्र के आधार पर किए आवेदन, जिनका आय प्रमाण–पत्र निर्धारित अधिसीमा के अधीन है, वैसे आवदेन को भी वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए निर्धारित आय अधिसीमा के अधीन मानते हुए आवेदन की वैधता की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए यह व्यवस्था सिर्फ एक बार उपाय के रूप में (As one time measure) लागू होगी।

5. **<u>बजट–शीर्ष</u>**

राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत् मांग संख्या–44 में **अनुसूचित जाति** के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–01– अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं **अनुसूचित जनजाति** के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त के अनुपालन के क्रम में योजना का क्रियान्वयन विहित समय सीमा के अंतर्गत उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया के तहत् पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/22

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–सं0 सं0–5/निदे0(प्रवे0छात्रवृत्ति) 01–03/2022–1166 पटना, दिनांक– 28.03.2022

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/3/22

सरकार के सचिव।